प्रेस नोट **दिनांक 23.08.2026**

बलात्कार/ पास्को एक्ट के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन मे थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.08.2026 को गोठा बाईपास के पास से मु0अ0सं0- 197/2026 धारा 65(2)/351(3) बीएनएस व 5m/5n/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त काशीनाथ पुत्र महेन्द्र सिह निवासी दुबौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0सं0- 197/2026 धारा 65(2)/351(3) बीएनएस व 5m/5n/6 पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1.काशीनाथ पुत्र महेन्द्र सिह निवासी दुबौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 23.08.2026

2.स्थान- गोठा बाईपास

गैगेस्टर एक्ट के मामले में वांछित तीन नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेशदत्त मिश्रा के कुशल निर्देशन मे थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.08.2026 को ग्राम चिउतापुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया से मु0अ0सं0- 300/2026 धारा 2/3(1) यू.पी गैंगेस्टर एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. मिथिलेश कुमार पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम चिउतापुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया, 2. दिलीप कुमार पुत्र शंकर प्रसाद निवासी ग्राम चिउतापुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया, 3. शैलेश पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम चिउतापुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 300/2026 धारा 2/3(1) यू.पी गैंगेस्टर एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1.मिथिलेश कुमार पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम- चिउतापुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष,

2. दिलीप कुमार पुत्र शंकर प्रसाद निवासी चिउतापुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 25 वर्ष,

3. शैलेश पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम चिउतापुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 23.08.2026

2.स्थान- ग्राम चिउतापुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया से।

अपहरण के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, नाबालिक अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन मे थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.08.2026 को मु0अ0सं0- 287/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र शिव दयाल निवासी मकान नं0 71 ईस्ट आफ कैलाश मेन मार्केट गढ़ी थाना अमर कालोनी जनपद ईस्ट आफ कैलाश दिल्ली, स्थायी पता- ग्राम चिरगांव थाना चिरगांव जनपद झांसी उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार नाबालिक अपहृता को बरामद किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 287/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद गोहना।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1.राहुल कुमार पुत्र शिव दयाल निवासी मकान नं0 71 ईस्ट आफ कैलाश मेन मार्केट गढ़ी थाना अमर कालोनी जनपद ईस्ट आफ कैलाश दिल्ली, स्थायी पता- ग्राम चिरगांव थाना चिरगांव जनपद झांसी।

गिरफ्तारी का दिनांक

1.दिनांक- 22.08.2026

2.स्थान- ईस्ट आफ कैलाश मेन मार्केट गढ़ी थाना अमर कालोनी जनपद ईस्ट आफ कैलाश दिल्ली।

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शातिर अपराधी को किया गया जिलाबदर

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 23.08.2026 को जिला मजिस्ट्रेट मऊ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2025, वाद सं0- 469/2026 सरकार बनाम अफजाल उर्फ अफजल अंसारी, अंतर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त अफजाल उर्फ अफजल अंसारी पुत्र कमरूज्जमा निवासी हट्ठीमदारी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 53 वर्ष को 03 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया।

जिला बदर अभियुक्त का विवरण

1.अफजाल उर्फ अफजल अंसारी पुत्र कमरूज्जमा निवासी हट्ठीमदारी थाना कोतवाली नगर, मऊ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 101/22 धारा 406/419/420/504/506 भादवि, थाना कोतवाली नगर, मऊ।
2. मु0अ0सं0 31/25 धारा 420,406,467,468,471,120 बी भादवि, थाना कोतवाली नगर, मऊ।
3. मु0अ0सं0 44/26 धारा 352,351(2) बी.एन.एस. थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

गैर इरादतन हत्या से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, घटना मे प्रयुक्त आला कत्ल लाठी बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन मे थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.08.2026 को भदेसरा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 125/2026 धारा 105/352/351(3) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त मु0 अफजाल पुत्र स्व0 मु0 इब्राहिम निवासी खेदूपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 52 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद लाठी बरामद किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण: - गिरफ्तार अभियुक्त मु0 अफजाल पुत्र स्व0 मु0 इब्राहिम सा0मु0 खेदूपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा बताया गया कि मेरी शादी 04 वर्ष पूर्व मृतक अली जफर के द्वारा ही अपनी सगी साली से कराया गया था। शादी के पहले अली जफर द्वारा अपनी साली (वर्तमान मे मेरी पत्नी) से बात चीत करते रहते थे। शादी के बाद मेरे द्वारा पत्नी से बातचीत करने से मना किया गया था। दिनांक 21.08.2026 समय करीब 8.30 बजे रात्रि में मृतक अली जफर अपनी ससुराल जो मेरे घर के पास मे ही है, बीमार चचेरी सासू माँ को देखने आये थे। मेरे घर के सामने मेरी पत्नी मौजूद थी उसको देखकर मृतक अली जफर बात करने लगा था। बातचीत करते देख मुझे अचानक क्रोध आ गया। घर से लाठी लाकर पीछे से उसके सिर मे एक लाठी से मैने प्रहार कर दिया। चोट लगने के बाद अली जफर सिर पकड़ कर नीचे बैठ गया और मै डर के मारे घर से भाग गया था। घर वालो द्वारा मृतक अली जफर को इलाज हेतु सदर अस्पताल ले जाया गया था जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गयी थी। अभी तक पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर घूम फिर कर रह रहा था। आज आप लोगो के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना मे प्रयुक्त एक अदद लाठी भी जो मैने ग्राम भदेसरा मे स्थित बाग में छिपा कर रखा था उसे आप लोगो को ले जाकर बरामद करा दिया हूँ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 125/2026 धारा 105/352/351(3) बी0एन0एस0 थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. मु0 अफजाल पुत्र स्व0 मु0 इब्राहिम निवासी खेदूपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 23.08.2026

2.स्थान- भदेसरा मोड़ के पास।

अपहरण/बलात्कार/पास्को एक्ट के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधबुन श्री दिनेशदत्त मिश्रा के कुशल निर्देशन मे थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.08.2026 को चौहान नगर मधबुन से मु0अ0सं0- 271/2026 धारा 137(2),87,64(2), 142 बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता सानिया उर्फ बेचनी पत्नी जाविर निवासी ग्राम- चैकड़ी थाना गोला बाजार जनपद गोरखपुर, हालपता- ग्राम परशुरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 271/2026 धारा 137(2),87/64(2)/ 142 बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम, पता

1. सानिया उर्फ बेचनी पत्नी जाविर निवासी ग्राम- चैकड़ी थाना गोला बाजार जनपद गोरखपुर, हालपता- ग्राम परशुरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 23.08.2026

2.स्थान- चौहान नगर, मधबुन

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडितों का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 75,786-/ (पचहत्तर हजार सात सौ छियासी रुपया) पीडितों को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 23.08.2026 को यूपीआई के माध्यम से पीड़ितों के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 75,786/- (पचहत्तर हजार सात सौ छियासी रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

***थानावार विवरण*-**

1.थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदिक साकिब खान पुत्र नाजिर खान निवासी- गालिबपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ कुल धनराशि – 60,000/- रूपया वापस कराया गया।

2.थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदक राजेंद्र चौहान पुत्र स्वा0 शिवबदन साकिन बुढावर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ कुल धनराशि- 15,786/- रूपया वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

***थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 08 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग- 1,83,000/- वापस कराया गया*-**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.08.2026 को गुम/खोये हुए 08 अदद मोबाइल फोन क्रमशः रेडमी कम्पनी की 01, सैमसिंग कम्पनी की 01, लावा कम्पनी की 01, वीवो कम्पनी की 02, रियलमी कम्पनी की 02 ,ओप्पो कम्पनी की 01 मोबाइल फोन कुल कीमती लगभग- 1,83,000/- (एक लाख तिरासी हजार रूपया) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त निजामुद्दीन पुत्र मो0 शहिद साकिन खिरियां थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 56 वर्ष।

2.थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1. गुलाब हरिजन पुत्र निर्मल हरिजन ग्राम विसेन दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ व 2. नागेश चौहान पुत्र श्यामलाल चौहान निवासी नई बस्ती दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ, 3. कोमल राजभर पुत्र तुफानी राजभर निवासी- चकउथ सूरजपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।

3.थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त साबह चौहान पुत्र भोला निवासी मुबारकपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ। अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 23.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 35 टीम गठित कर जनपद के 35 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1480 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 468 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 01 वाहनों की सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

आगमी त्यौहारो, श्रवण मास/ कावड़ यात्रा/ शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आज दिनांक 23.08.2026 को सायंकाल पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह व भारी संख्या में पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र के गाजीपुर तिराहा से आजमगढ़ तिराहा तक रुट मार्च/ पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।